न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 565/2022

अनवान : –

1. दुष्यंत स्वामी पुत्र संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दीपांशु स्वामी पुत्र संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. बादो पत्नी नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजरानी पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. संदीप कुमार पुत्र नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– **प्रतिवादीगण**

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्तकारी अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री मांगेराम गोदारा अधिवक्ता **वादी**
श्री मनीराम सरावग अधिवक्ता **प्रतिवादी**

निर्णय दिनांक: 1/8/23

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10.6250हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येंक का 21941/53115 हिस्सा व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का 1/60 हिस्सा तथा रोही मौजा 5 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8.3490हैक भूमि में मृतक नन्दराम का 3131/8349 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 का 3131/16698 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रतिवादीया स0 2 ता 4 जो कि वादीगण की बुआ है उपरोक्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती है अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुकी है व प्रतिवादी स0 5 जो कि वादीगण का पिता है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नही लेना चाहता है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वादीगण के पक्ष में परित्याग कर चुका है। इस प्रकार प्रतिवादीया स0 2 ता 5 का उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही बचा है। बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादीगण काबिज है। वादीगण अपने हिस्से की भूमि को अपने नाम दर्ज करवा पाने का कानूनी अधिकारी है।

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested

वादीगण ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं0 1 ता 5 की तरफ से अधिवक्ता श्री मनीराम सरावग के वादीगण के वाद को स्वीकार करते हुए अपना जवाब ईकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो हम प्रतिवादी को कोई एतराज नही है। प्रतिवादी सं0 6 राजपेरोकार ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में जमाबंदी रोही मौजा 3 केएनएन खाता संख्या 61, खाता संख्या 126, खाता संख्या 62, रोही मौजा 5 बी बारानी खाता संख्या 95, मृत्यु प्रमाण पत्र नन्दराम व सदस्य प्रमाण पत्र नन्दराम आदि पेश कियें।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का जवाब ईकबाल दावा प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादीगण की संयुक्त हिन्दू परिवार की साझा आय से अर्जित पैतृक दादालाई कृषि भूमि है है जिसमें वादीगण व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। प्रतिवादी स0 2 ता 5 के द्वारा अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है तथा वादीगण के वाद को प्रतिवादीगण स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार किया जाकर जवाब ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादीगण के वाद के संबंध में कोई एतराज नही है। अतः वादीगण का वाद डिक्री फरमाया जावें।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद में वादी ने रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10.6250हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येंक का 21941/53115 हिस्सा व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का 1/60 हिस्सा तथा रोही मौजा 5 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8.3490हैक भूमि में मृतक नन्दराम का 3131/8349 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 का 3131/16698 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, उक्त वाद भूमि प्रस्तुत दस्तावेजात से पैतृक दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। वादी ने कथन किया है कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 उक्त वाद भूमि में कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहते है उक्त कथन के संबंध में प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 की तरफ से जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए जवाब इकबाल दावा पेश किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत सरपंच ग्राम पंचायत फेफाना द्वारा जारी वारिस प्रमाण पत्र एवं पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अलावा मृतक नन्दराम के अन्य कोई भी वारिस नहीं होना साबित किया गया है। अतः वादीगण के वाद

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested

उप खण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

को प्रतिवादी स0 1 ता 5 के द्वारा स्वीकार करने एवं वादीगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10.6250हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येंक का 21941/531115 हिस्सा व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का 1/60 हिस्सा तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8.3490हैक्‍ भूमि में मृतक नन्दराम का 3131/8349 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 का 3131/16698 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10.6250हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक्‍ भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक्‍ भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 5 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8.3490हैक्‍ भूमि में मृतक नन्दराम व प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर चारों खातों की भूमि में वादी स0 1 व वादी स0 2 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक ...11/8/23... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 565/2022

अनवान : –

1. दुष्यंत स्वामी पुत्र संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. दीपांशु स्वामी पुत्र संदीप कुमार जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।

–वादी

बनाम्

1. बादो पत्नी नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
2. प्रेमलता पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. मन्जू पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
4. राजरानी पुत्री नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. संदीप कुमार पुत्र नन्दराम जाति स्वामी निवासी फेफाना तहसील नोहर।
6. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री मांगेराम गोदारा व वकील प्रतिवादी श्री मनीराम सरावग की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण प्रतिवादीगण की सहमति एवं वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है है कि रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10.6260हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 प्रत्येंक का 21941/531115 हिस्सा व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक भूमि प्रतिवादी स0 1 का 1/2 हिस्सा व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का 1/60 हिस्सा तथा रोही मौजा 5 बी बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8.3490हैक भूमि में मृतक नन्दराम का 3131/8349 हिस्सा व प्रतिवादी स0 5 का 3131/16698 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, में रोही मौजा 3 केएनएन तहसील नोहर के जमाबंदी संवत 2071–2074 के खाता सं0 61/61 की कुल 10. 6250हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 126/122 की कुल 2.5300हैक भूमि में से 1/2 हिस्सा प्रतिवादी स0 1 का नाम कलमजन किया जाकर व खाता स0 62/63 की 0.2530हैक भूमि में प्रतिवादी स0 1 ता 5 का का नाम कलमजन किया जाकर तथा रोही मौजा 5 बारानी तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2071–2074 के खाता स0 95/96 की कुल 8. 3490हैक भूमि में मृतक नन्दराम व प्रतिवादी स0 5 का नाम कलमजन किया जाकर चारों खातों की भूमि में वादी स0 1 व वादी स0 2 को बराबर हिस्सा खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 11/8/23 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2023.12.26 14:39:55 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर